

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष, ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर, छ.ग.

क्रमांक एफ : 01-68/2020/विज्ञप्त/ 68

रायपुर, दिनांक: 20/01/2021

"संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी (300 पद) के रिक्त पदों की नियमित नियुक्ति हेतु दस्तावेज सत्यापन की सूचना"

—000—

चिकित्सा अधिकारियों के 300 पदों की पूर्ति हेतु इस संचालनालय के सूचना पत्र क्रमांक एफ 01-68/2020/विज्ञप्त/2756, रायपुर, दिनांक 19.12.2020 द्वारा मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन दिनांक 04.01.2021 (सोमवार), 05.01.2021 (मंगलवार) एवं 06.01.2021 (बुधवार) को आयोजित की गई। तत्पश्चात् समसंख्यक दिनांक 07.01.2021 द्वारा उक्त दिवस को दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थी को दिनांक 13.01.2021 को दस्तावेज परीक्षण के उपस्थित होने का अंतिम अवसर देते हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किये गये।

उक्त दस्तावेज सत्यापन उपरांत प्रतीक्षा सूची हेतु पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन दिनांक 25.01.2021 को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़, ब्लॉक-1, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर में आयोजित की गई है। दिनांक 25.01.2021 (बुधवार) को दस्तावेज सत्यापन में नीचे उल्लेखित अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे :-

क्र.	समय	वर्ग	वर्ग में मेरिट क्रमांक
1	2	3	4
1	पूर्वाह्न 11:00 से 12:00	अनारक्षित	364, 366, 373, 375, 377, 379, 381, 382, 384, 385, 386, 388, 395, 404, 405, 406, 407, 408, 412, 414
2	अपरान्ह 12:00 से 01:00	अनारक्षित	415, 418, 420, 424, 425, 426, 430, 431, 433, 434, 438, 443, 444, 447, 448, 454, 455, 458, 460, 461,
3	अपरान्ह 01:00 से 02:00	अनारक्षित	463, 466, 467, 468, 471, 473, 475, 476, 479, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 491, 495, 498, 499, 500
4	अपरान्ह 02:00 से 02:30	भोजन अवकाश	
5	अपरान्ह 02:31 से 03:30	अन्य पिछड़ा वर्ग	121 से 150 तक

नोट:- अभ्यर्थी उपरोक्त सारणी के कॉलम क्रमांक 3 में दर्शित वर्ग के मेरिट सूची का अवलोकन कर कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित क्रमांक अनुसार उपस्थिति देवें।

- कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए अनावश्यक भीड़ न हो इस उद्देश्य से समय-सीमा निर्धारित की गई है। अतः समस्त अभ्यर्थी निर्धारित समय-सीमा का पालन करें एवं शासन नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

2. अभ्यार्थी को अपने साथ विज्ञापन में दर्शित दस्तावेजों (10 वी, 12वी, समस्त वर्ष के एम.बी.बी.एस., पी.जी. का अंकसूची, छ.ग. मेडिकल कौंसिल/अन्य मेडिकल कौंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव/अनापत्ति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र) की मूल प्रति एवं दो स्व-प्रमाणित छायाप्रति लाना अनिवार्य है।
3. अभ्यार्थी उपरोक्त दस्तावेज निम्न क्रम में व्यवस्थित कर प्रस्तुत करे:-
 1. ऑनलाईन आवेदन की प्रति 2. हाई स्कूल प्रमाण पत्र, 3. हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र, 4. एम.बी.बी.एस. (प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष) 5. पी.जी. का अंकसूची, 6. छ.ग. मेडिकल कौंसिल/अन्य मेडिकल कौंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, 7. मूल निवास प्रमाण पत्र, 8. जाति प्रमाण पत्र, 9. अनापत्ति प्रमाण पत्र, 10. अनुभव प्रमाण पत्र, 11. दिव्यांग प्रमाण पत्र, 12. अन्य दस्तावेज, 13 शपथ पत्र (अनुबंधित अभ्यार्थियों के लिए)
4. अभ्यार्थी अपने साथ पहचान पत्र (पेन कार्ड/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस/मतदाता परिचय पत्र) अनिवार्य रूप से लावे।
5. कोविड-19 संक्रमण के चलते यदि कोई अपरिहार्य स्थिति निर्मित होती है जिससे अभ्यार्थी का दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होना संभव नहीं हो पा रहा हो तो अभ्यार्थी किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत कर सकता है। अभ्यार्थी द्वारा अपने प्रतिनिधि को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिये लिखित रूप अधिकृत करेगा एवं अधिकार पत्र में प्रतिनिधि के हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाना एवं अनुपस्थित होने का कारण दर्शाया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अधिकृत व्यक्ति को दस्तावेज सत्यापन के समय अधिकार पत्र एवं अपना तथा अभ्यार्थी का परिचय पत्र की मूल प्रति एवं अभ्यार्थी द्वारा सत्यापित छायाप्रति अधिकार पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अभ्यार्थी द्वारा जारी लिखित अधिकार पर नहीं होने की स्थिति में किसी भी प्रतिनिधि को दस्तावेज सत्यापन हेतु मान्य नहीं किया जावेगा।
6. अभ्यार्थी को उक्त दस्तावेज परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का टीए/डीए इस संचालनालय द्वारा देय नहीं होगा।
7. यदि किसी अभ्यार्थी द्वारा निर्धारित समय-सीमा में उपरोक्तानुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उन्हें उक्त दस्तोवज प्रस्तुत करने हेतु पृथक से अतिरिक्त समय नहीं दिया जावेगा।
8. अनुबंधित (पीजी/एमबीबीएस) अभ्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
9. यदि उल्लेखित अभ्यार्थी उक्त दिवस, दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो 300 चिकित्सा अधिकारी हेतु जारी इस संचालनालय के विज्ञापन क्रमांक 2355, दिनांक 14.10.2020 में नियमित नियुक्ति हेतु उनकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।


संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़